राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक 10(7) ग्रावि/नरेगा/कोन्ट्रेक्ट/2010 जयपुर, दिनांकः 24.04.10

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त (राजस्थान)।

विषयः- **कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की सेवायें सेवा प्रदाता एजेन्सी/फर्म/कम्पनी के माध्यम से लेने के कम में।**

प्रसंगः- इस कार्यालय का पत्र कमांक प 1(3)ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/2010 दिनांक 10.02.2010 एवं पत्र दि. 19.03.10

महोदय,

उपरोक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत इस कार्यालय के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की सेवाऐं फर्म या सेवा एजेन्सी के माध्यम से लिये जाने हेतु लिखा गया था।

इस पत्र के साथ कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन या कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवायें कम्पनी,फर्म या सेवा एजेन्सी के माध्यम से लेने के लिये किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

कम्प्यूटर ऑपरटेर मय मशीन लगाये जाने के बारे में कई जिलों से मार्गदर्शन हेतु पत्र भी प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि :-

1. यह अनुबंध किसी भी पंजीकृत कम्पनी, फर्म या सेवा एजेन्सी से ही किया जावे।

2. वित्त विभाग के परिपत्र कमांक प 9(1)वित्त/1/(1)2004 दि. 28.07.08 के प्रावधानानुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन उक्त कम्पनी, फर्म या सेवा एजेन्सी से नेगोसिएशन कर या सीमित कोटेशन लेकर रू. 6000/- प्रतिमाह तक की सीमा तक बाद अनुबन्ध लगाया जा सकता है।

3. संस्था द्वारा प्रति कम्प्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराये जाने के विरूद्ध मांगा गया सर्विस चार्ज, प्रति कम्प्यूटर उपलब्ध कराने हेतु मांगी गई राशि एवं प्रति कम्प्यूटर ऑपरेटर को दिये जाने वाले मासिक मानदेय की जानकारी भी लिखित में ली जावे। एक से अधिक संस्था होने की स्थिति में जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक अपने स्तर पर उन कम्पनियों, फर्मो या सेवा ऐजेन्सियों के कार्य एवं इस क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए यह निर्णय करें कि किस संस्था से मैन मय मशीन की सेवाये ली जानी है। आवश्यक समझे तो एक समिति बनाकर प्राप्त समस्त आवेदनों का परीक्षण करवा लिया जावे। संस्था के कार्य क्षेत्र, वित्तीय स्थिति, इस क्षेत्र में अनुभव, संस्था द्वारा जिले में समान प्रकृति का कार्य पहले से ही करने एवं उस संस्था के कार्य क्षेत्र का ध्यान रखते हुये आवेदनों का परीक्षण करवाकर सूचीबद्ध करवा लिया जावे, ताकि निर्णय में सुविधा रहे।

4. जिस संस्था से उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की सेवाये ली जा रही है उसको प्रति कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन अधिकतम रू. 6000/- मासिक देय होंगे। सेवा कर या अन्य कर संस्था द्वारा ही वहन किया जावेगा। कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन के मानदेय के संबंध में यह सुनिश्चित किया जावे कि कम्प्यूटर ऑपरेटर को कम से कम कुशल श्रमिक के लिये निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मानदेय के रूप में आवश्यक रूप से दी जावे।

5. सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर को देय भुगतान अकाउन्ट पेयी चैक के माध्यम से ही किया जायेगा।

संलग्नः उक्तानुसार

भवदीय,

24/4/10.

(रामनिवास मेहता)
परि.निदे.एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु कार्मिकों की सेवायें फर्म या सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से लेने हेतु सेवा अनुबन्ध

(रू. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

इकरार नामा

यह इकरारनामा आज दिनांक -------माह-------वर्ष ---------को-- ----------------------------(फर्म/कम्पनी एजेन्सी का नाम, ई-मेल, फोन नम्बर व पूर्ण पता) - प्रथम पक्षकार एवं --------------------(जिला कार्यक्रम समन्वयक नरेगा या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी) --द्वितीय पक्षकार के मध्य महात्मा गांधी नरेगा योजना में विभिन्न कार्यों के लिये कार्मिकों / कार्मिक मय मशीन (कम्प्यूटर व प्रिन्टर) की सेवाये देने के लिए निष्पादित किया जाता है । यह इकरार नामा निम्नलिखित शर्तों एवं निर्बन्धों के अध्यधीन उपरोक्त पक्षकारों के मध्य निष्पादित किया जाता है:-

1. इस अनुबन्ध की अवधि दिनांक 28..02.2011 तक होगी।
2. प्रथम पक्षकार मांग के अनुसार द्वितीय पक्षकार को परिशिष्ठ-1 में वर्णित स्पेसिफिकेशन का कम्प्यूटर मय कार्मिक उपलब्ध करवायेगा। कार्मिकों की योग्यता परिशिष्ठ-1 में वर्णित कॉलम न0 2 अनुसार होगी।
3. इस सेवा के बदले प्रथम पक्षकार को उनके द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों एवं कार्मिक मय कम्प्यूटर के बदले में प्रतिमाह संविदा राशि रू. ---------(अक्षरे रूपये ----------------------------------) होगी।
4. प्रत्येक माह प्रथम पक्षकार अपना बिल द्वितीय पक्षकार को या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जिसका भुगतान आगामी 15 दिनों में किया जावेगा।

5. प्रथम पक्षकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों द्वारा अपना कार्य पूर्ण निष्ठा व गुणवत्ता के अनुसार पूरा करना होगा। यदि कोई कार्मिक उसको दिये गये कार्य को सही समय एवं विभाग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं करता है, तो उसे तुरन्त हटा दिया जावेगा । इसके बदले प्रथम पक्षकार निर्धारित योग्यता के अनुसार दूसरा कार्मिक 24 घन्टे में उपलब्ध करवायेगा।

6. कम्प्यूटर परिशिष्ठ–1 में वर्णित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही उपलब्ध करवाना होगा तथा प्रथम पक्षकार का यह दायित्व होगा कि कम्प्यूटर सही स्थिति एवं चालू हालत में हो । इसमें किसी प्रकार की खराबी आती है तो उसे 24 घन्टे में ठीक करवाने या दूसरा कम्प्यूटर उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी प्रथम पक्षकार की होगी। यदि उक्त अवधि में कम्प्यूटर की मरम्मत नहीं कराई जाती है या नया कम्प्यूटर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो कार्यक्रम अधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक के स्तर पर संतुष्टि हो जाने पर रू. 200/– प्रति कम्प्यूटर प्रतिदिन की दर से राशि काटी जायेगी।

7. प्रथम पक्षकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिकों को केवल एक साप्ताहिक अवकाश देय होगा। एक वर्ष में कार्मिक को साप्ताहिक अवकाश के अतिरिक्त 12 अवकाश भी देय होंगे। इसके अलावा अनुपस्थित रहने की स्थिति में आनुपातिक रूप से कटौती की जायगी।

8. कार्मिक को अपनी सेवाये मय मशीन उस स्थान पर देनी होगी जिसके लिये द्वितीय पक्षकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित किया जावे। कार्मिक का कार्यालय समय राजकीय समयानुसार ही होगा, लेकिन शनिवार कार्य दिवस होगा एवं कार्य की अधिकता को ध्यान में रखते हुऐ कार्मिक को कार्यालय समय बाद भी रोका जा सकता है तथा अवकाश के दिन भी कार्य हेतु बुलवाया जा सकता है। इसके लिये कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

9.. कार्य की गुणवत्ता उच्च श्रेणी की होगी तथा रिकॉर्ड एवं अन्य सूचनाओं का संधारण भी निर्देशानुसार कार्मिकों द्वारा किया जावेगा। प्रथम पक्षकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिक बिना अनुमति के कार्यालय से संबंधित किसी भी सूचना को अन्य किसी को उपलब्ध नही करवायेंगें।

10. यदि कोई कार्मिक बिना सूचना के सात दिवस या इससे अधिक अवधि के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान पर दूसरा कार्मिक / कार्मिक मय कम्प्यूटर उपलब्ध करवाना होगा।

11. प्रथम पक्षकार द्वारा उपलबध करवाये गये कार्मिक द्वितीय पक्षकार के प्राधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोडेंगें ।

12. इन कार्मिकों के लिये प्रथम पक्षकार को आर.पी.एम.एफ, अंशदायी प्रावधायी निधि, राज्य बीमा, दुर्घटना ग्रुप इन्श्यूरेंश योजना के बदले में किसी प्रकार की राशि देय नहीं होगी परन्तु विभिन्न श्रम कानून अथवा सेवाएं / कार्मिक को अनुबन्ध पर रखे जाने से संबंधित विधिक आवश्यकताओं /औपचारिकताओं की पालना प्रथम पक्ष द्वारा की जाएगी। इन कार्मिकों को किसी प्रकार का बोनस या ऋण देय नहीं होगा तथा न ही इस सेवा के आधार पर इन्हें नियमित सेवा प्रदान करने हेतु पात्र माना जाएगा अथवा इस संबंध में किसी दावे को ही स्वीकार किया जायेगा।

13. प्रथम पक्षकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये कम्प्यूटर प्रिन्टर में प्रथम बार टोनर प्रथम पक्षकार द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। इसके बाद आवश्यकता पडने पर टोनर द्वितीय पक्षकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

14. प्रथम पक्षकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिक द्वारा कार्य निष्पादन द्वितीय पक्षकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की संतुष्टि के अनुसार करना होगा। यदि कार्मिक का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो यह प्रथम पक्षकार के स्तर पर दुर्व्यवहार (misconduct) माना जावेगा जो सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ किये गये इस अनुबन्ध की समाप्ति के लिये पर्याप्त आधार होगा।

15. प्रथम पक्षकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिक के स्तर पर कारित किसी भी प्रकार की हानि, गबन की गई राशि की वसूली प्रथम पक्षकार को देय राशि में से की जायेगी परन्तु इससे भी पूर्ति नहीं होने पर यह वसूली भू–राजस्व की बकाया वसूली की तरह जिला कलेक्टर अथवा उपखण्ड अधिकारी के द्वारा की जायेगी।

16. प्रथम पक्षकार के अनुबनध को द्वितीय पक्षकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा एक माह के नोटिस के साथ समाप्त किया जा सकेगा।

17. प्रथम पक्षकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिक, अनुबन्ध की अवधि तक किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के यहां किसी भी प्रकार की अंश/ पूर्ण कालीन सेवा, व्यवसाय इत्यादि नहीं करेंगा।

18. यदि इस अनुबन्ध का नवीनीकरण नहीं किया गया तो दिनांक 28.02.2011 को यह इकरारनामा स्वतः ही समाप्त हो जायेगा ।

19. प्रथम पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिक के बारे में शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता आदि के बारे में कोई भी सूचना छिपाई जाती है या असत्य सूचना दी जाती है तो यह अनुबन्ध स्वतः ही उस कार्मिक के बारे में समाप्त माना जावेगा एवं द्वितीय पक्षकार द्वारा सूचित करते ही 24 घन्टे में दूसरा कार्मिक उपलब्ध कराना होगा।

20. कार्मिकों की सेवायें उपलब्ध कराने के लिए सरकार को देय सेवा कर एवं अन्य कर का समस्त भार प्रथम पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।

21. प्रथम प्रक्षकार सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर को देय भुगतान केवल अकाउन्ट पैई चैक द्वारा ही किया जावेगा

22 द्वितीय पक्षकार को यह अधिकार होगा कि इस इकरारनामा की अवधि में कार्य परिस्थितियों के मद्देनजर प्रथम पक्षकार के साथ किये गये इकरारनामे की सेवा शर्तों में आवश्यक परिवर्तन किया जा सके।

हस्ताक्षर व नाम	हस्ताक्षर, नाम व पद नाम
प्रथम पक्षकार	द्वितीय पक्षकार
हस्ताक्षर नाम व पता साक्षी	हस्ताक्षर नाम व पता साक्षी

स्थान--------

दिनांक-----------

Annexure-I

I. Specification of Computer

a. Computer - Pentium P IV / Equivalent AMD Computer or higher, RAM 512 MB/1GB, Hard disk 80 GB or more, 15" monitor/TFT, 10/100 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Opitcal Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports Windows XP /Vista, Anti Virus, Preinstalled MS Office.

Responsibility of software license will be borne by the contractor.

b. Printer - Black and white laser printer with speed 12 ppm or more. For specific needs, dotmatrix/Inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

c. UPS - Online/offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

II. **Qualification of Computer Operator**

Manpower - The personnel should be graduate, should have knowledge to operate computer in Windows/Linux environment, good knowledge / practice in Word Processor, Spread Sheets and Internet operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English.

Note: - If any Head of Department proposes to vary the suggested configuration, the same should be on superior side but expenditure ceiling of Rs. 600/- per month will not be enhanced.

हस्ताक्षर मय दिनांक
एवं नाम प्रथम पक्षकार